रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226581
CG-DL-E-13042021-226581

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943
No. 174] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

फा. सं. अभातशिप/पी एंड एपी/ओडीएल–ऑनलाइन/2021.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10(ख)(छ)(झ)(ञ)(ड)(ढ) तथा (ण) के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रकार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अभातशिप निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है तथा अभातशिप [मुक्त और दूरस्थ माध्यम से तथा ऑनलाईन माध्यम से शिक्षा प्राप्ति (ओडीएल)] दिशानिर्देश, 2021 में संशोधन करती है, नामत :–

1. क) इन दिशानिर्देशों का नाम ''अभातशिप (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा एवं ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा) दिशानिर्देश – संशोधन – 2021'' है।

   ख) ये दिशानिर्देश इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिनांक 01 मार्च, 2021 को प्रकाशित दिशा निर्देशों, अभातशिप (मुक्त और दूरस्थ माध्यम से तथा ऑनलाईन माध्यम से शिक्षा प्राप्ति) दिशानिर्देश, 2021 के विद्यमान भाग–2 में निम्न तालिका में दिए गए अनुसार संशोधनों को शामिल किया जाता है।

| विद्यमान खण्ड | संशोधित खण्ड |
|---|---|
| बिन्दु संख्या 3 :<br>(क) संस्थान ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) के 4 अंक के पैमाने पर 3.26 अथवा उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो अथवा एनबीए का 1000 के पैमाने पर 700 का स्कोर प्राप्त किया हो अथवा जिन्होने आवेदन करने के समय पर प्रक्रमण के 3 चक्रों में से कम से कम 2 चक्रों में (आवेदन के समय) में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढ़ाचे की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया हो, केवल ऐसी संस्थाओं को अभातशिप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना केवल एनबीए प्रत्यायित पाठ्यक्रमों में पूर्णतः ओडलीएल पाठ्यक्रमों तथा/अथवा | (क) संस्थान ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) के 4 अंक के पैमाने पर 3.26 अथवा उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो अथवा एनबीए का 1000 के पैमाने पर 700 का स्कोर प्राप्त किया हो अथवा जिन्होने आवेदन करने के समय पर प्रक्रमण के 3 चक्रों में से कम से कम 2 चक्रों में (आवेदन के समय) में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढ़ाचे की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया हो, केवल ऐसी संस्थाओं को प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों, कंप्यूटर अनुप्रयोग, कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डेटा साइंस, लॉजिस्टिक्स और यात्रा एवं पर्यटन (ट्रैवल एंड टूरज्म) के |

| | |
|---|---|
| ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि संस्था द्वारा इस विनियम में दी गई सभी शर्तों को पूरा किया गया हो : | क्षेत्र में अभातशिप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना पूर्णतः ओडीएल पाठ्यक्रमों तथा/अथवा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि संस्था द्वारा इस विनियम में दी गई सभी शर्तों को पूरा किया गया हो।<br>तथापि, इन संस्थानों के लिए, वार्षिक रूप से अभातशिप पोर्टल पर संकाय, छात्रों संबंधी जानकारी और शपथ पत्र संबंधी सभी प्रासंगिक डेटा अभातशिप के पोर्टल पर पंजीकरण करके पोर्टल पर अपलोड करना अपेक्षित है। |
| बिन्दु संख्या 3 :<br>(ख) कोई भी संस्था, ओडीएल माध्यम से तथा/अथवा ऑनलाइन रीति से कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए आवेदन कर सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :–<br><br>कम से कम पाँच वर्षों से अस्तित्व में हो ; तथा<br><br>(i) अंक –4 के पैमाने पर न्यूनतम 3.01 अंक के स्कोर के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् द्वारा प्रत्यायित<br>अथवा<br>(ii) 1,000 के पैमाने पर कम से कम 650 अंकों के साथ एनबीए द्वारा प्रत्यायित<br>अथवा<br>(iii) पिछले तीन पूर्ववर्ती चक्रों (आवेदन के समय) में से न्यूनतम दो बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे में विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष–100 में स्थान प्राप्त हो।<br><br>इसके अलावा, संस्था को प्रारंभिक अनुमोदन की तारीख से अगले 2 वर्षों में 1000 के पैमाने पर 650 अंकों के न्यूनतम स्कोर के साथ एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करना होगा। | (ख) कोई भी अन्य संस्था, ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाइन रीति से कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए आवेदन कर सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :–<br><br>न्यूनतम पाँच वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए तथा इसके साथ–साथ दो बैच भी उत्तीर्ण हो चुके हों।<br><br>(i) अंक –4 के पैमाने पर न्यूनतम 3.01 अंक के स्कोर के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् द्वारा प्रत्यायित<br>अथवा<br>(ii) 1,000 के पैमाने पर कम से कम 650 अंकों के साथ एनबीए द्वारा प्रत्यायित<br>अथवा<br>(iii) पिछले दो पूर्ववर्ती चक्रों (आवेदन के समय) में से न्यूनतम एक बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे में विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष–100 में स्थान प्राप्त हो।<br><br>इसके अलावा, संस्था को प्रारंभिक अनुमोदन की तारीख से अगले 2 वर्षों में 4 अंक के पैमाने पर 3.26 नैक(एनएएसी) स्कोर अथवा 1000 के पैमाने पर 700 अंकों के न्यूनतम स्कोर के साथ एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।<br>तथापि, इन संस्थानों के लिए, वार्षिक रूप से अभातशिप पोर्टल पर संकाय, छात्रों संबंधी जानकारी और शपथ पत्र संबंधी सभी प्रासंगिक डेटा अभातशिप के पोर्टल पर पंजीकरण करके पोर्टल पर अपलोड करना अपेक्षित है। |
| | बिन्दु संख्या 3 :<br>(ग) मुक्त विश्वविद्यालय केवल समय–समय पर अभातशिप द्वारा अनुमति प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों में ही ओडीएल/ऑनलाईन कार्यक्रमों को संचालित कर सकेंगे, बशर्ते कि वह इन दिशा निर्देशों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते है।<br>तथापि, इन संस्थानों के लिए, वार्षिक रूप से अभातशिप पोर्टल पर संकाय, छात्रों संबंधी जानकारी और शपथ पत्र संबंधी सभी प्रासंगिक डेटा अभातशिप के पोर्टल पर पंजीकरण करके पोर्टल पर अपलोड करना अपेक्षित है। |
| बिन्दु संख्या 3 :<br>प्रवेशक्षमता – किसी विशेष कार्यक्रम में अधिकतम अनुमोदित प्रवेशक्षमता पारम्परिक/नियमित रीति में शिक्षा हेतु संस्वीकृत प्रवेशक्षमता से तीन गुणा तक ही होगी। | किसी भी ओडीएल/ऑनलाईन कार्यक्रम/पाठ्यक्रम में अनुमोदित प्रवेशक्षमता यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ रीति तथा ऑनलाईन अधिगम रीति) विनियम, दिनांक 4 सितम्बर, 2020 तथा समय–समय पर संशोधन किए गए अनुसार होगी। |

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./38/2021–22]

## ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2021

**F. No. AICTE/P&AP/ODL-ONLINE/2021.—**In exercise of the powers conferred by and in discharge of its functions and duties under sub-section (1) of section 23 read with section 10(b) (g) (i) (j) (m) (n) and (o) of AICTE Act, 1987, the AICTE hereby makes the following guidelines further to amend the AICTE (Open and Distance Learning Education and Online Education) Guidelines, 2021, namely:-

1. a) These guidelines may be called the AICTE (Open and Distance Learning Education and Online Education) Guidelines - Amendment - 2021

   b) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Council for Technical Education (Open and Distance Learning Education and Online Education) Guidelines, 2021 published on 1st March, 2021, the following amendments have been incorporated in existing Part – II of the guidelines as given in the table below.

| Existing clause | Amended Clause |
|---|---|
| Point 3:<br>(a) Institutions having NAAC score of 3.26 and above on a scale of 4 or NBA Score of 700 on a scale of 1000 or having rank in Top-100 in University category of National Institutional Ranking Framework, at least twice in three preceding cycles (at the time of application), shall be permitted to start full-fledged ODL courses and / or Online courses without prior approval of the AICTE only in the NBA accredited programmes, provided it satisfies all the conditions mentioned in these regulations: | (a) Institutions having NAAC score of 3.26 and above on a scale of 4 or NBA Score of 700 on a scale of 1000 or having rank in Top-100 in University category of National Institutional Ranking Framework, at least twice in three preceding cycles (at the time of application), shall be permitted to start full-fledged ODL courses and / or Online courses in the field of Management and allied areas, Computer Applications, Artificial Intelligence and Data Science, Logistics and Travel & Tourism without prior approval of the AICTE, provided it satisfies all the conditions mentioned in these guidelines.<br>However, these institutions are required to submit all relevant data regarding faculty, students and affidavit on AICTE portal annually by registering on it. |
| Point 3:<br>(b) Any Institution, may apply for offering programmes through the ODL mode and / or Online mode, which fulfils the following conditions, namely:-<br>shall be in existence for at least five years; and<br>(i) shall be accredited by the National Assessment and Accreditation Council with minimum score of 3.01 on a 4-point scale;<br>or<br>(ii) NBA accreditation with at least 650 points on a scale of 1,000<br>or<br>(iii) shall be in the top-100 in the University category in the National Institutional Ranking Framework for at least twice in last three preceding cycles (at the time of application).<br>Provided further, Institution has to acquire NBA Accreditation with a minimum score of 650 points on a scale of 1000 in next 2-years from the date of initial approval. | (b) Any other Institution which fulfils the following conditions may apply for offering programmes through the ODL mode and / or Online mode.<br>shall be in existence for minimum five years with at least two batches passed out; and<br>(i) shall be accredited by the National Assessment and Accreditation Council with minimum score of 3.01 on a 4-point scale;<br>or<br>(ii) NBA accreditation with at least 650 points on a scale of 1,000<br>or<br>(iii) shall be in the top-100 in the University category in the National Institutional Ranking Framework for at least once in last two preceding cycles (at the time of application).<br>Provided further, Institution has to acquire NAAC score of 3.26 on a 4-point scale or NBA Accreditation with a minimum score of 700 points on a scale of 1000 in next 2-years from the date of initial approval.<br>Moreover, these institutions are required to submit all relevant data regarding faculty, students and affidavit on AICTE portal annually by registering on it. |

| | |
|---|---|
| | Point 3:<br>(c) Open Universities may run ODL / Online programmes only in the courses permitted by AICTE from time to time, provided they meet all the requirements of these guidelines.<br>However, these institutions are required to submit all relevant data regarding faculty, students and affidavit on AICTE portal annually by registering on it. |
| Point 7:<br>**Intake:** The approval of intake is maximum of three times of the sanctioned intake of specific programme in conventional / regular mode. | The "Approved Intake" for ODL / Online Programmes / Courses shall be as per the UGC (Open and Distance Learning mode and Online Learning Mode) regulations dated 4th September 2020 and as amended from time to time. |

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./38/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.13 22:18:40 +05'30'